न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 114 / 2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025 / 159

1. किशनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी करमीसर व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर वर्तमान बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री प्रहलाद जाखड़	– अभिभाषक अपीलांट्स
	श्री दाऊलाल हर्ष	– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 16.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– अपीलांट्स के पिता उदा वल्द जैसा जाति जाट निवासी करमीसर के नाम से रोही मौजा करमीसर के राजस्व ख़सरा नंबर 49 / 45 रकबा 35 बीघा खाम, जिसके उपनिवेशन खसरा नंबर 157 तादादी 18 बीघा 5 बिस्वा एवं राजस्व खसरा नंबर 49 / 49 मिन, जिसके उपनिवेशन खसरा नंबर 132 तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता भूमि टी.सी. आवंटनशुदा भूमि थी, जिसके खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के आदेश व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि का आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत किये गये, जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 127 दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त रकबा में से खसरा नंबर 157 तादादी 18 बीघा 5 बिस्वा तो अपीलांट के नाम बदस्तूर चला आ रहा है, परन्तु उपनिवेशन खसरा नंबर 132 तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा जो कि राजस्व खसरा नंबर 49 / 49 मिन से बना था को अपीलाधीन आदेश की पालना में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 पारित कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीकानेर जिले की बीकानेर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं देशनोक मास्टर प्लान क्षेत्र एवं नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्रामों की समस्त राजकीय भूमियां (वाटर बॉडी व प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने बावत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बीकानेर ने वादगत भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 एवं तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 17.08.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— अभिभाषक अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं मियाद बिन्दु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता उदा वल्द जैसा जाति जाट को राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि का आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत ग्राम करमीसर के राजस्व खसरा नंबर 49/45 रकबा 35 बीघा खाम, जिसके उपनिवेशन खसरा नंबर 157 तादादी 18 बीघा 5 बिस्वा एवं राजस्व खसरा नंबर 49/49 मिन, जिसके उपनिवेशन खसरा नंबर 132 तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा इंतकाल संख्या 127 दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त रकबा में से खसरा नंबर 157 तादादी 18 बीघा 5 बिस्वा तो अपीलांट के नाम बदस्तूर चला आ रहा है, परन्तु उपनिवेशन खसरा नंबर 132 तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा जो कि राजस्व खसरा नंबर 49/49 मिन से बना था, को अपीलाधीन आदेश की पालना में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार ने वादगत भूमि का इंतकाल नगर विकास न्यास बीकानेर के हक में स्वीकृत कर दिया, जबकि उक्त रकबा का इंतकाल पहले से ही अपीलांट के नाम से जरिये इंतकाल सं. 127 दर्ज था तथा बदस्तूर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का

न्यायालय संभागीय आयुक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवलोकन किये तथा किसी प्रकार की रिपोर्ट लिए मनमाने तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को रेस्पो. के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। वादगत रकबा अपीलांट्स का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट्स का हक एवं अधिकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट्स को कोई नोटिस दिए, बिना अपीलांट्स को सुनवाई एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर दिए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादगत रकबा अपीलांट्स का खातेदारी रकबा है, जिसे बिना अवाप्त किये रेस्पो. के नाम से दर्ज नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर बीकानेर ने तहसीलदार बीकानेर को समस्त राजकीय भूमियां संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया था, किन्तु तहसीलदार ने इस आदेश की पालना में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को ही इस आदेश का हवाला देकर दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी मे नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलं अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा वादगत रकबा अपीलांट्स के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4— अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति पेश करते हुए अवगत कराया कि उपरोक्त अनवान की अपील जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। नगर निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.05.2022 के निर्देशानुसार बीकानेर जिले के मास्टर प्लान क्षेत्र से संबंधित भूमि को हस्तांतरित किये जाने, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रशासनिक पत्र के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। अपील मियाद बाहर पेश होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्राथमिक आधार पर सुनी जाकर संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज की जावे।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 में *समस्त राजकीय भूमियों* को संबंधित निकाय को हस्तांतरित किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादगत भूमि अपीलांट के नाम से जरिये नामान्तरण संख्या 127 राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी, जो कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा जारी सनद दिनांक 17.04.1997 के आधार पर उदाराम को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त वादगत भूमि को अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बीकानेर ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 में *समस्त राजकीय भूमियों* को संबंधित निकाय में हस्तांतरण किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे, किन्तु तहसीलदार बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलांट की खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया हैं, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। उक्त परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम करमीसर के उपनिवेशन खसरा नंबर 132 तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा जो कि राजस्व खसरा नंबर 49/49 मिन से बना है, की हद तक निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रांवली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर